

**कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक  
मध्यप्रदेश.**

क्रमांक / 2571 / तकनीकी / 2006

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2006

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,  
मध्यप्रदेश.

विषय :- स्थानीय संस्थाओं द्वारा भवनों/भूखण्डों/दुकानों के अंतरण के दस्तावेजों पर  
स्टाम्प शुल्क वसूल किये जाने बाबत ।

---0---

कृपया आपके क्षेत्रांतर्गत आने वाली समस्त स्थानीय संस्थाओं के अभिलेखों की  
जांच कर जानकारी भेजें कि इन संस्थाओं द्वारा दिनांक 14/12/2003 के उपरांत विक्रय या पट्टे  
पर दिये गये कितने भवनों/भूखण्डों/दुकानों से संबंधित दस्तावेजों पर भारतीय स्टाम्प  
अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रभार्य स्टाम्प शुल्क नहीं चुकाया गया है, तथा इनमें कितनी  
राशि देय है ।

उपर्युक्त जानकारी कृपया एक सप्ताह में संलग्न प्रपत्र में आवश्यक रूप से इस  
कार्यालय में उपलब्ध करायें । कृपया इस कार्य को प्राथमिकता दें ।

**संलग्न :- प्रपत्र.**

हस्ता/-  
महानिरीक्षक पंजीयन,  
मध्यप्रदेश.

**संलग्न प्रपत्र.**

स.क्र.	स्थानीय संस्था का नाम.	संपत्ति अंतरण/ दस्तावेज का निष्पादन दिनांक.	क्रेता/पट्टेदार का नाम.	सम्पत्ति का विवरण.	कम चुकाए गयी स्टाम्प शुल्क की राशि.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

जिला पंजीयक,  
जिला.....